न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 114/2017

मोतीसिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
2. नगरपालिका सूरतगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 12.10.2011

उपस्थिति:–
श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता
श्री मदन भांभू अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक– 28-6-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने आदेश कमांक राजस्व/न0पा0ह0/11/3771 दिनांक 12.10.2011 से आदेश दिया कि राज.सरकार की अधिसूचना प.6(9)राजस्व–6/96/पार्ट/39 दिनांक 06.12.2010 के अनुसरण में तथा तहसीलदार सूरतगढ के पत्र कमांक राजस्व/11/1899 दिनांक 11.10.2011 द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार नगरपालिका सूरतगढ की पैराफेरी क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि रोही कस्बा सूरतगढ ख.न. 444/4 की 73.623है0 रकबा राज भूमि नगरपालिका सूरतगढ के नाम अमलदरामद करने के आदेश दिये तथा अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त भूमि बाबत नगरपालिका से लगान का 40 गुणा राशि वसूल किया जाना है।

(A) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधि. का प्रा.पत्र मय शपथ पेश किया है। अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 03.01.2018 को 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ में उपनिवेशन तहसील सूरतगढ ने 4.946है0 कृषि भूमि राज.उपनिवेशन अस्थाई आवंटन शर्तें 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु सन 1978 में आवंटित की गई जिसका समय–समय पर नवीनीकरा होता रहा। विवादग्रस्त भूमि का सम्वत् 2061 तक नवीनीकरण होता रहा।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी किया कि आपके द्वारा राज.उपनिवेशन अधि.(अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा भूमि शहरी क्षेत्र के पैरा फेरी क्षेत्र में आने के कारण विवादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। तत्पश्चात तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने दिनांक 04.09.2006 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 04.09.2006 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 16.09.2006 को निगरानी संख्या 6410/06 अनवान मोती सिंह बनाम सरकार प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने दिनांक 19.09.2006 को स्थगन आदेश प्रदान करते हुए तहसीलदार सूरतगढ को निर्देशित किया कि उनके निर्णय दिनांक 04.09.2006 की पालना मण्डल के आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.11.2006 तक स्थगित रखी जावे। तत्पश्चात दिनांक 03.03.2016 तक स्थगन आदेश चल रहा है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सही नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ के आदेश दिनांक 04.09.2006 के विरूद्ध निगरानी माननीय मण्डल में जेरकार है उक्त आदेश से तहसीलदार के आदेश की पालना स्थगित कर रखी है। अतः निवेदन है कि माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना में अपीलांट को पुनः टी. सी. होल्डर दर्ज किया जाकर अपीलांट की हद तक नगरपालिका का नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अवलोकन किया जाकर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपीलांट का प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाट ने जरिये वकील द्वारा दिनांक 03.01.2018 को अपील में प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पेश किया था। अतः उसका 96 सीपीसी का प्रा.पत्र भी स्वीकार किया जावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित किया गया है। उक्त रकबा राजकीय रकवा था जोकि पेराफेरी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील 12.10.11 के आदेश के खिलाफ दिनांक 30.10.2017 को पेश की है। जोकि 6 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

(iii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.02.2006 की अनुपालना में जारी किया गया है एवं वर्तमान में इसकी पालना की जा चुकी है। विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ने यह कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध लगभग 6 वर्ष विलम्ब से पेश की। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज की फोटो कापियां पेश की :–

(1) गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.1972

(2) तहसीलदार(भू.अ.) सूरतगढ के आदेश दिनांक 07.09.06 विषयः– रकबा राज कब्जा नगरपालिका सूरतगढ को सौंपने बाबत।

(3) दैनिक डायरी रकबा राज सौंपने बाबत दिनांक 08.09.06

(4) नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(ङ) तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का आदेश :–सूची टी.सी.रकबा रोही सूरतगढ़ खारिज कर नगरपालिका को सौंपने बाबत।

(च) राज.सरकार के आदेश दिनांक 08.02.06

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) बहस से स्पष्ट है कि अपीलांट को सूरतगढ़ रोही के ख.न. 444/4 की 4.946है0 भूमि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन शर्ते 1955 के तहत अस्थाई आवंटन 1978 में हुआ जिसका समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा। अंतिम नवीनीकरण संवत् 2061 का बताया। उक्त नवीनीकरण की अवधि समाप्ति एवं पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा कर उक्त भूमि नगरपालिका पेराफेरी क्षेत्र शहरी सीमा के 2 कि.मी. की परिधि में आने के कारण प्रार्थी को खातेदारी अधिकार ना प्रदान कर दिनांक 04.09.2006 को उक्त टी.सी. खारिज कर दिया गया।

उक्त आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में 16.09.06 को की गई। हालांकि उक्त निगरानी में उक्त आदेश की पालना केवल दिनांक 16.11.2006 तक ही स्थगित रखी तत्पश्चात किसी प्रकार के स्थगन के अस्तित्व का कोई उललेख नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि स्थगनादेश होते हुए भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2011 जारी किया गया है।

(i) यदि ऐसा कोई स्थगनादेश तत्सयम प्रभाव में होता तो अपीलांट के समक्ष विकल्प होता कि वह माननीय राजस्व मण्डल में अवमानना की कार्यवाही करता।

(ii) साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट का स्वयं का कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त मामलें को अधी. न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या निर्देश थे तथापि हमारा यह मत है कि कवेल मामला प्रतिप्रेषित करने मात्र से यह तथ्य साबित नहीं होता कि अपीलांट के पक्ष में मामला साबित होता है। अधी. न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेरी फेरी क्षेत्र में अनधिवासित भूमियां नगरपालिका के नाम दर्ज करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

(b) अपीलांट का कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी में उसका मामला रिमाण्ड कर दिया किन्तु इस दौरान या इससे पूर्व दिनांक 12.10.11 को अधी. न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश जिसकी अपील की गई है पारित किया।

तत्पश्चात भी अपीलांट ने उक्त आदेश की अपील दिनांक 21.11.17 को अर्थात लगभग 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात की।

उन्होंने अपने मियाद में छूट के प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण या ठोस तर्क या सारभूत आधार नहीं दिया जबकि प्रार्थी स्वयं मामले को चलाने वाला था व अपने मामले में सावचेत रहने के उत्तरदायित्व के अधीन था तो भी अपील में अनावश्यक विलम्ब का कारण दर्शित नहीं कर सका।

(c) नगरपालिका की ओर से अधिवक्ता ने अवगत कराया कि उक्त आदेश राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.02.2006 की अनुपालना में जारी किया गया है एवं वर्तमान में इसकी पालना की जा चुकी है। उन्होंने उक्त आशय की सुसंगत प्रतियां दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। फलस्वरूप उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण एवं अधी. न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं पाये जाने के कारण सारहीन है।

(d) यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को आवंटन अस्थाई था। उक्त आवंटन को खातेदारी प्राप्त करने का सारभूत अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो जाता वह यह साबित करने में असफल रहे कि उनका अधिकार अशर्त व सारभूत प्रकृति का था।

(e) लिहाजा उक्त विवेचन से यह न्यायालय उचित समझता है कि अपीलार्थी की अपील सारहीन व आधारहीन है एवं अधी. न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर